राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(45) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G /M-I/बैठक/2017–18 जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषय :– सेक– 2011 के आंकडों के आधार पर तैयार वरीयता सूची में विसंगतियों के कम में।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.07.2017

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत पात्र परिवारों की वरीयता सूची का निर्धारण सेक–2011 के आंकडों के आधार पर किया गया है। विभिन्न जिलों द्वारा सेक–2011 के आंकडो में विसंगतियों के संबंध में अवगत कराया गया है, जिसके निराकरण हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

प्रासंगिक पत्र के द्वारा सेक–2011 के आंकडों में विसंगतियों के संबंध में जिलों को एक्सेल फॉर्मेट में सूचनाएँ तैयार करवाकर दिनांक 15.08.2017 तक भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु अभी तक जिलों से सूचनाएँ अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि उक्त विसंगतियों के सम्बंध में सीएम हेल्पलाईन पर भी परिवाद दर्ज हो रहे है। जिनका निराकरण हेतु एवं उक्त सूचनाएँ दिनांक 05.11.2017 तक, सम्पूर्ण जिलें की सुचनाऐं संकलित कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे, ताकि तद्नुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को संकलित प्रस्ताव भिजवाकर विसंगतियों का निराकरण करवाया जा सके।

भवदीय,

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि